



सेवा में,

1. श्री लोक नाथ बाबा होम्स प्रा0लि0,
मि0 रोहित कुमार, निदेशक
पिता-श्री इन्द्रदेव सिंह,
पता-एस0के0पुरी, पार्क,
पटना, बिहार।
2. वास्तुविद, श्री उमा शंकर कुमार, निबंधन सं0-AR/85/2015
पटना नगर निगम।

विषय :- प्लान केस सं0- P-/Dhanaut-PRN-B+G+5/605/2017 के निबंधित वास्तुविद/
अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 17.76 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर
स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।

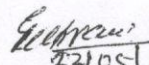
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन
निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 17.76 वर्ग
मीटर) भू-पट्टी छोड़ कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ
ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement
of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान
अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 17.76 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन
उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन
उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी
प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक
प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक
होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय-समय
पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी
भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/
अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,


उप निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।